रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2420] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2015/कार्तिक 19, 1937
No. 2420] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2015/KARTIKA 19, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2015

का.आ. 3028(अ).–निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-meb@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के अकोले और राजुर तहसीलों में स्थित है और इसकी सीमा नासिक जिले के ईगातपुरी ताल्लुक, थाणे जिले के शाहपुर और मुरबाद ताल्लुक और पुणे जिले के जुनार ताल्लुक से जुड़ी है और 361.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है |

और जहाँ, यह क्षेत्र वनस्पतियां जैव विविधता में समृद्ध हैं। वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट में बसा हैं जो कि एक जैव विविधता का मान्यता प्राप्त हॉट स्पॉट हैं। कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के वनों को 2ए/सी 2 दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह वन वृक्ष प्रजातियों को सहयोग प्रदान करते हैं। जिनमें सागौन (टैकटोना ग्रांडिस), ऐन (टर्मिनालिया टोमेनटोसा), हिरदा (टर्मिनालसिया चेबुला), बेहेदा (टर्मिनालिया बेलेरिका), अवाला (इमबलिका ओफिसिनालिया), पिसा (एक्टिनोडाफने अन्गुस्तिफोलिया), कराप

(मेमोसाइलोन अमबेलाटम), करमबु (ओलेया डियोइका), खैर (अकाकिया कैटेचु) हेड (एडिना कोरडिफोलिया), कलामब (मितराग्यना परविफ्लोरा), बिबला (पटारोकारपस मरसुपियम), कुम्भी (करेया अरबोरेया), आम (मैंगगिफेरा इंडिका), जम्भुल (साजिजियम कुमिनि) के साथ-साथ प्रजातियों जैसे बम्बू कॉटन, (बम्भोसा बम्बूस) और मनवेल (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रीकटस) और (करिसा करुण्डस), झाड़ियां सहित मोडविल (कम्ब्रिटम ओवलिफालियम) सहित बेले सम्मिलित हैं।

और जहाँ, अभयारण्य और उसके निकट प्रतिक्षेत्र जीव के वास हैं जिनमें तेंदुआ (पेंथेरा पार्दस), विशालकाय गिलहरी (रतुफा इंडिका), जंगली सूअर (सस स्क्रोफा) ब्लैक नेप खरगोश (लेपस निगरीकोलिस), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस), लकड़बग्घा (लकड़बग्घा हैना) बोनेट मकाक (मकाका रेडिएट) और पक्षियों की लगभग 130 विभिन्न प्रजातियां जिनमें मयूर, बैंगनी बगुला, किट्स, जंगली मुर्गी, कोयल, चित्तीदार ओव्लेट, किंगफिशर सम्मिलित हैं।

और जहाँ, यह क्षेत्र सरीसृप रेपटाइल में भी समृद्ध हैं जिनमें 21 प्रकार के स्तनधारियों, 93 प्रकार के सरीसृप, 130 प्रकार के पक्षी और 2 प्रकार की मछलियां अभिलिखित है। जो क्षेत्र की वन्यजीवों की समृद्धता दर्शाता है और इसके निकटवर्ती क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए अक्सर उनके आवास का काम करते हैं।

और जहाँ, यह क्षेत्र प्रवर और मूला नदियों का उदगम स्थल हैं और जो धीरे-धीरे भारत के दक्षिणी भाग की गंगा नदी गोदावरी में समा जाती है, और इसके पश्चात् अन्य कृषि और उसके सम्बद्ध क्रियाकलापों के विषय में महत्वपूर्ण योगदान हैं।

और जहाँ, अभयारण्य की मानव बस्ती से संनिकट्ता तथा अभयारण्य के चारों ओर चल रहे विकासात्मक क्रियाकलाप इन सब क्रियाकलापों पर नियंत्रण और उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकताओं को आवश्यक बनाते हैं। यह अभयारण्य 24 ग्रामों को जो कि प्रमुखत: कृषि प्रधान है को सहयोग प्रदान करता हैं।

और, कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.6 से 4 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 300.72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.6 से 4 किलोमीटर तक विस्तारित है | इस जोन का सीमा विवरण **उपाबंध - I** पर दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोने के भीतर आने वाले 42 ग्रामों की सूची **उपाबंध II** पर उपाबद्ध है |

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ सीमा विवरण क्रमश: **उपाबंध III** पर उपाबद्ध है।

(5) कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ बिन्दुओं के जीपीएस निर्देशांकों के विवरण और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन **उपाबंध IIIक** पर उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए योजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |

(4) उक्त योजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग,

(5) उक्त योजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी

(6) उक्त योजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) उक्त योजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) उक्त योजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक जन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 12,17,23,27 और 30 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं |

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नये होटलों और रिसर्टों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और पदाविहित क्षेत्रों में पर्यटन अनुकूल सुविधाओं के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के

प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लॉन का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट--**ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(11) **औद्योगिक इकाईयां .-** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी प्रस्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्रावं और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार जारी रहेगा; परन्तु यह और कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समाप्ति अवधि पर नहीं किया जाएगा |
विनियमित क्रियाकलाप		
10.	दुकानदारों द्वारा पोलीथीन बैग का उपयोग।	पोलीथीन बैगों का उपयोग वैज्ञानिकत: विनियमित किया जाना चाहिए |
11.	विद्युत केबलों, और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(i) भूमिगत केबिल लगाने का संवर्धन;
12.	होटलों और विश्रामस्थलों की स्थापना।	किसी नए वाणिज्यिक होटल और विश्रामस्थल की अनुज्ञा पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के सिवाए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर नहीं दी जाएगी |

13.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी | परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी | परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा | एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सन्निमार्ण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप और/या मानिटरिंग समिति की सिफारिश पर किया जाएगा|
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना निदेश का अनुपालन किया जाएगा |
15.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
16.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
24.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

संवर्धित क्रियाकलाप		
26.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
28.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
29.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
30.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
31	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए |
32.	पहाड़ी ढलानों और नदी के किनारों का संरक्षण।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, महाराष्ट्र राज्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1	कलक्टर, जिला अहमदनगर	-अध्यक्ष
2	नासिक, पूना और थाणे के कलक्टरों के प्रतिनिधि	-सदस्य
3	नासिक, पूना, थाणे और अहमदनगर के जिला परिषदों के प्रतिनिधि	-सदस्य
4	क्षेत्र के वरिष्ठ शहरी योजनाकार	-सदस्य
5	महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, थाणे का प्रतिनिधि	-सदस्य
6	अपर पीसीसीएफ (वन्यजीव), नासिक का प्रतिनिधि	-सदस्य
7	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि	-सदस्य
8.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठन का प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि (पर्यावरण और विरासत संरक्षण) के क्षेत्र में कार्यरत)	-सदस्य
9.	उपखण्ड वन अधिकारी, संगमसेर वन उपखण्ड	-सदस्य-सचिव

6. निर्देश शर्तें -

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/93/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

उत्तर : Gat नं की पश्चिमी सीमा का कॉम्पट न. 302 दक्षिणी सीमा गांव इंदौरा का गट न. 310,311 गांव इंदौरा का पश्चिमी और दक्षिणी सीमा का गट न. 312 गांव इंदौरा की पश्चिमी सीमा का गट न. 319, 320,324,325,326,328. गांव इंदौरा की दक्षिणी सीमा का गट न. 353, गांव इंदौरा की पूर्वी सीमा का गट न. 327, गांव खादकेद की दक्षिणी सीमा का गट न. 42,43. गांव खादकेद की पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का गट न. 44. गांव खादकेद की पूर्वी सीमा का गट न. 51,52. गांव खादकेद की पूर्वी और दक्षिणी सीमा का गट न. 50. गांव खादकेद की पूर्वी और पश्चिमी सीमा का गट न. 66. गांव खादकेद की पश्चिमी सीमा का गट न. 68,69. गांव खादकेद की दक्षिणी सीमा का गट न. 75,76. गांव अम्बेवाडी की दक्षिणी सीमा का गट न. 561,564, 579, 598. गांव अम्बेवाडी की पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का गट न. 563. गांव अम्बेवाडी की पश्चिमी सीमा का गट न. 578. गांव अम्बेवाडी की पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का गट न. 599,600. गांव अम्बेवाडी की दक्षिणी सीमा का गट न. 602,604,606,607,608, 3,4,6,7,8. गांव अम्बेवाडी की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का गट न.10. गांव अम्बेवाडी की पश्चिमी सीमा का गट न. 9. गांव अम्बेवाडी की दक्षिणी सीमा का गट न.34,35,65. गांव अम्बेवाडी की पश्चिमी सीमा का गट न. 69,70,71. दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का कॉम्पट न.308 गांव कुरुगंवाडी की दक्षिणी सीमा का गट न. 16,17. गांव कुरुगंवाडी की पूर्वी और दक्षिणी सीमा का गट न. 43. गांव कुरुगंवाडी की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा का गट न.46. गांव कुरुगंवाडी की पश्चिमी सीमा का गट न. 47. गांव कुरुगंवाडी की दक्षिणी सीमा का गट न. 53,55,57,58. दक्षिणी सीमा का कॉम्पट न. 314.

गांव जमुन्दा की पूर्वी और दक्षिणी सीमा का गट न. 44. पूर्वी सीमा का कॉम्पट न. 316. गांव जमुन्दा की उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी सीमा का गट न. 33,34. गांव जमुन्दा की दक्षिणी सीमा का गट न. 35. **(पश्चिम नासिक डी.एन.)**हिवहाली नदी की सीमा, नाल्लाह कम्पार्टमेंट न.438- ए **(शाहपुर डी एन)**

पूर्व : कॉम्पट न.55ए, 56ए, मुलखेल, कॉम्पट न.97ए, 99ए, धमानवन, कॉम्पट न.79 ई, 79 एफ, पुरुशवाडी कॉम्पट.96 बी, 96 सी, खड़की (खुर्द), कॉम्पट न. 14ए, 14बी शिसवाड, कॉम्पट न. 141ई, 141एफ, 141जी, 141एच, वघदरी, कॉम्पट न.141जे, 141आई, 141 के, शिंदे, कॉम्पट न.141 सी, पोहाने, 135बी, 135सी, पठान कॉम्पट न.142 एस, महादेववाड़ी कॉम्पट न. 140ए, अम्बित खिंद कॉम्पट न. 145 बी, 145 सी, गोदेवाड़ी कॉम्पट न. 145ई, 145एफ, 142डी, केलीकोतुल कॉम्पट न.145 ए.**(संगमनेर उप डी.एन.)**

दक्षिण : येसदारवाडी कॉम्पट न.144 ए, 144 बी, 144 सी, 144 डी **(संगमनेर उप डी.एन.**) दक्षिणी सीमा का कॉम्पट न.716 **(ठाणे वन प्रभाग)**

कॉम्पट न.03, 04, 05, मल्की सुर न.86,87,89, वन सर्वेक्षण न.122, मल्की सुर न.127,128 कॉम्पट न.6, मल्की सुर न.102,103, वन सर्वेक्षण न.104, मल्की क्र. न.105,107, कॉम्पट न.08, मल्की गट न. 189,190,193,194,197,198,236,237 243, 246, 316,317, कॉम्पट न.11, मल्की गट न. 248,249,286,296,299,303, 305, 332,334,339,340, कॉम्पट न.12 मल्की गट न. 39,43,44,45,47,48,49, मल्की गट न.37, वन सर्वेक्षण न.171 मल्की गट न.179,181,188,209,210,222,229 **(जुन्नार वन डी.एन.)**

पश्चिम : पश्चिमी सीमा का कॉम्पट न.711,714,716, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा का कॉम्पट न. 716,715,714,711, उत्तरी सीमा का कम्पार्टमेंट न. 711, दक्षिणी सीमा का कॉम्पट न.710,709,702,701, पश्चिमी सीमा का कॉम्पट न.702,701

उपाबंध II

मानचित्र में चिन्हित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	विभाग	गांव के नाम
1	2	3
1	पश्चिम नासिक	खादकाद
2	पश्चिम नासिक	अम्बेवाडी
3	पश्चिम नासिक	कुरुगंवाडी
4	पश्चिम नासिक	जमुन्दा
5	संगमानेर उप-विभाग	बरी
6	संगमानेर उप-विभाग	वरगुंशी
7	संगमानेर उप-विभाग	छिछोन्दी
8	संगमानेर उप-विभाग	शेंदी
9	संगमानेर उप-विभाग	भनदरदारा
10	संगमानेर उप-विभाग	मुटखेल
11	संगमानेर उप-विभाग	तरुनगुन
12	संगमानेर उप-विभाग	धमानवन
13	संगमानेर उप-विभाग	बलथान
14	संगमानेर उप-विभाग	पुरुशवाडी
15	संगमानेर उप-विभाग	सिसवाद
16	संगमानेर उप-विभाग	वागदरी
17	संगमानेर उप-विभाग	सिंदे
18	संगमानेर उप-विभाग	कोहाने
19	संगमानेर उप-विभाग	घोटी
20	संगमानेर उप-विभाग	शिलवान्दी
21	संगमानेर उप-विभाग	अम्भोल

22	संगमानेर उप-विभाग	अम्बीत खिंद
23	संगमानेर उप-विभाग	घोदेवाडी
24	संगमानेर उप-विभाग	केली कोतुल
25	संगमानेर उप-विभाग	ईसरथाव
26	जुन्नार विभाग	मंदवे
27	जुन्नार विभाग	जम्बुलशी
28	जुन्नार विभाग	कोपरी
29	जुन्नार विभाग	संगनोरे
30	जुन्नार विभाग	कोलहेवाडी
31	जुन्नार विभाग	खिरेशवर
32	जुन्नार विभाग	तिभाम्वी तारफ वैशखैर
33	जुन्नार विभाग	वालहीवारे
34	जुन्नार विभाग	मरदी
35	जुन्नार विभाग	तेलेगांव
36	शनापुर विभाग	गुण्डे
37	शनापुर विभाग	देहेने
38	शनापुर विभाग	सकुरली
39	शनापुर विभाग	छोंधी बी के.
40	शनापुर विभाग	छोंधी के एच.
41	शनापुर विभाग	हिंगलुद
42	शनापुर विभाग	कालभोन्दे

उपाबंध – III

अक्षांशों और देशान्तरों के साथ कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

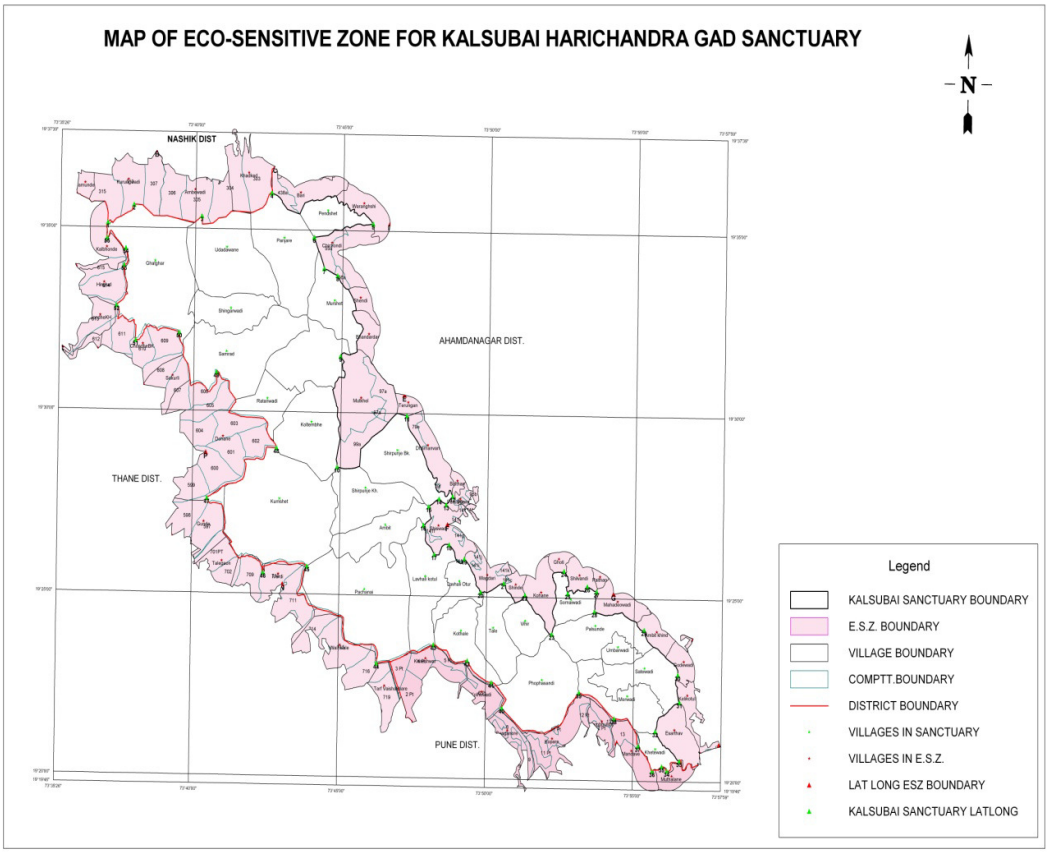

उपाबंध – IIIक

कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के जीपीएस बिन्दु

क्र. सं.	आंतरिक/बाहरी	बिन्दु सं.	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4	5
1	आंतरिक	1	19:35:07.885	73:37:02.317
2	आंतरिक	2	19:35:38.094	73:37:54.875
3	आंतरिक	3	19:35:20.943	73:40:12.992
4	आंतरिक	4	19:36:00.823	73:42:34.415
5	आंतरिक	5	19:35:12.292	73:46:00.812
6	आंतरिक	6	19:34:48.692	73:44:01.428
7	आंतरिक	7	19:33:57.377	73:44:22.640
8	आंतरिक	8	19:33:45.867	73:44:49.937
9	आंतरिक	9	19:31:81.262	73:44:57.943
10	आंतरिक	10	19:28:30.547	73:44:53.669
11	आंतरिक	11	19:29:56.718	73:47:14.210
12	आंतरिक	12	19:27:45.205	73:48:49.050
13	आंतरिक	13	19:27:31.409	73:48:36.174
14	आंतरिक	14	19:27:40.841	73:48:21.331
15	आंतरिक	15	19:27:27.943	73:48:00.887
16	आंतरिक	16	19:26:27.235	73:47:50.269
17	आंतरिक	17	19:26:08.960	73:48:12.988
18	आंतरिक	18	19:26:25.252	73:48:43.006
19	आंतरिक	19	19:26:02.892	73:49:14.281
20	आंतरिक	20	19:25:07.887	73:49:84.087
21	आंतरिक	21	19:25:23.293	73:50:35.071
22	आंतरिक	22	19:25:04.555	73:51:18.140
23	आंतरिक	23	19:24:00.683	73:52:13.434
24	आंतरिक	24	19:25:44.745	73:52:36.763
25	आंतरिक	25	19:25:08.107	73:52:44.896
26	आंतरिक	26	19:25:20.008	73:53:24.523
27	आंतरिक	27	19:25:11.827	73:53:43.400
28	आंतरिक	28	19:24:38.966	73:53:39.637
29	आंतरिक	29	19:24:09.674	73:55:20.710
30	आंतरिक	30	19:22:56.407	73:56:30.031
31	आंतरिक	31	19:22:11.340	73:56:34.190
32	आंतरिक	32	19:21:22.739	73:55:46.604
33	आंतरिक	33	19:20:34529	73:56:34.905
34	आंतरिक	34	19:20:18.018	73:56:10.094
35	आंतरिक	35	91:20:25.196	73:55:59.618
36	आंतरिक	36	91:20:17.224	73:55:40.209
37	आंतरिक	37	19:20:58.107	73:55:10.792
38	आंतरिक	38	19:21:43.152	73:54:21.777
39	आंतरिक	39	19:22:24.978	73:53:09.757
40	आंतरिक	40	19:21:57.663	73:50:33.580
41	आंतरिक	41	19:22:39.570	73:50:11.900

42	आंतरिक	42	19:22:14.722	73:49:22.241
43	आंतरिक	43	19:23:40.289	73:48:13.538
44	आंतरिक	44	19:23:08.026	73:46:18.190
45	आंतरिक	45	19:25:46.413	73:43:54.730
46	आंतरिक	46	19:25:34.835	73:42:26.005
47	आंतरिक	47	19:27:36.038	73:40:30.120
48	आंतरिक	48	19:29:00.630	73:42:50.169
49	आंतरिक	49	19:31:04.045	73:40:46.655
50	आंतरिक	50	19:32:08.732	73:39:29.982
51	आंतरिक	51	19:31:54.940	73:38:01.513
52	आंतरिक	52	19:32:51.754	73:37:22.199
53	आंतरिक	53	19:33:58.234	73:37:86.317
54	आंतरिक	54	19:34:26.328	73:37:39.307
55	आंतरिक	55	19:34:42.862	73:37:01.014
1	बाहरी	ए	19:35:54.317	73:35:58.406
2	बाहरी	बी	19:37:07.673	73:38:40.183
3	बाहरी	सी	19:36:44.133	73:42:40.194
4	बाहरी	डी	19:35:12.907	73:46:35.110
5	बाहरी	इ	19:30:31.027	73:47:08.761

<u>उपाबंध IV</u>

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2015

S.O. 3028(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary is situated in Akole and Rajur tehsils of Ahmadnagar District and shares boundary with Igatpuri Taluka of Nashik district, Shahapur and Murbad Talukas of Thane District and Junnar Taluka of Pune District in the state of Maharashtra and is spread over an area of 361.71 sq. kms.

AND WHEREAS, the area is rich in floral and faunal diversity. The Wildlife Sanctuary is nestled in the Western Ghats, a recognised hot spot of biodiversity. The forests of the Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary are classified under 2A/C2-Southern Tropical Semi-evergreen Forest. The forests support tree species including Teak (Tectona grandis) Ain (Terminalia tomentosa), Hirda (Terminalsia chebula), Beheda (Terminalia bellerica), Awala (Emblica officinalis), Pisa (Actinodaphne angustifolia), Karap (Memocylon umbellatum), Karmbu (Olea dioica), Khair (Acacia catechu), Hed (Adina cordifolia), Kalamb (Mitragyna parviflora), Bibla (Pterocarpus marsupium), Kumbhi (Careya arborea), Mango (Mangifera indica), Jambhul (Syzygium cumini) along with other species like Bamboo-Katang (Bambusa bamboos) and Manvel (Dendrocalamus strictus), shrubs including Karvanda (Carissa carundus) and climbers including Modewel (Combretum ovalifalium).

AND WHEREAS, the sanctuary and the adjoining area is home to wildlife comprising amongst Leopard (Panthera pardus), Giant Squirrel (Ratufa indica) Wild boar (Sus scrofa) Blacknaped hare (Lepus nigricollis), wild cat (Felis chaus), Hyaena (Hyena hena) Bonnet macaque (Macaca radiate) and with about 130 different avi fauna amongst Peacock, Purple Heron, Kites, jungle fowl, Koel, spotted owlet, Kingfishers. abound.

And whereas, the area is also rich in reptiles, having recorded 21 types of mammals, 93 types of reptiles, 130 types of birds and 2 types of fishes, thereby justifying the richness of the area in wildlife and the adjoining areas often serve as home to the migratory wildlife.

And whereas, the area is the origin of the Rivers Pravara and Mula, which gradually merge into the River Godavari, the Ganga of southern part of India, thereby has lot of significance in the development of agriculture and allied activity downstream.

And whereas, the close vicinity of the Sanctuary to human habitation and ongoing developmental activities around the Sanctuary, necessitates the requirement of proper safeguards and control over such activities. The Sanctuary supports 24 villages which are principally agriculture based.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.6 to 4 kilometers around the boundary of Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be with a peripheral area of 300.72 sq. kms with an extent varying from 1.6 km to 4 kms around the boundary Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The list of 42 villages falling in Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II.**

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-III**.

(5) The details of GPS coordinates of the points along the boundary of the Kalsubai Harishchandragad Wilidlife Sanctuary and its eco-sensitive zone are appended as **Annexure-III A.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The said Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Maharashtra State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The said plan shall provide details for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(8) The said Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The said Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 17, 23, 27 and 30 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall be part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone ;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities as per law:

However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or the Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per laws.

9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
Regulated Activities		
10.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Use of polythene bags should be regulated scientifically.
11.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling.
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
13	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. Further, beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under the laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	As regulated for commercial use under the laws.
19.	Introduction of exotic species.	As regulated under the laws.
20.	Drastic Change of Agriculture systems.	As regulated under the laws.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	As regulated under the laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.

23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Air and vehicular pollution	As regulated under the laws.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	As regulated under the laws.
Promoted Activities		
26.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	As permitted under the laws.
27.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
28.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
29.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
30.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
31.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted
32.	Protection of hill slopes and river banks.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Maharashtra , which shall comprise of the following namely:-

1.	Collector, Ahmednagar District	-Chairman
2.	Representative of Collectors of Nashik, Pune and Thane	-Members
3.	Representative of Zila Parishads of Nashik, Pune, Thane and Ahmednagar	-Members
4.	Senior Town Planner of the area	- Member
5.	Representative of Maharashtra State Pollution Control Board, Thane	-Member
6.	Representative of Additional PCCF (Wildlife), Nashik	-Member
7.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a period of one year.	-Member
8.	One representatives of Non-governmental Organization (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a period of one year.	-Member
9.	Sub Divisional Forest Officer, Sangamner Forest Sub Division	-Member-Secretary

6. Terms of Reference:-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/93/2015-ESZ-RE]

DR. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DETAILS OF KALSUBAI HARISHCHANDRAGAD ECO-SENSITIVE ZONE

North : Western boundary of comptt. No.302 Southern boundary of village Indora Gat No.310,311 Western & Southern boundary of Village Indora Gat No.312 Western boundary of Village Indora Gat No.319, 320,324,325,326,328. Southern boundary of village Indora Gat No.353, Eastern boundary of village Indora Gat No.327, Southern boundary of village Khadked Gat No.42,43. Eastern, southern & western boundary of village Khadked Gat No. 44. Eastern boundary of village Khadked Gat No. 51,52. Eastern & southern boundary of village Khadked Gat No. 50. southern & western boundary of village Khadked Gat No. 66. western boundary of village Khadked Gat No. 68,69. Southern boundary of village Khadked Gat No. 75,76. southern boundary of village Ambewadi Gat No. 561,564, 579, 598. Eastern, southern & western boundary of village Ambewadi Gat No. 563. western boundary of village Ambewadi Gat No. 578. Eastern, southern & western boundary of village Ambewadi Gat No. 599,600. southern boundary of village Ambewadi Gat No. 602,604,606,607,608,3,4,6,7,8. Southern & western boundary of village Ambewadi Gat No.10. western boundary of village Ambewadi Gat No. 9. southern boundary of village Ambewadi Gat No.34,35,65. western boundary of village Ambewadi Gat No. 69,70,71.southern & western boundary of Comptt No.308. Southern boundary of village Kurungwadi Gat No. 16,17. Eastern & southern boundary of village Kurungwadi Gat No. 43. western & southern boundary of village Kurungwadi Gat No.46. western boundary of village Kurungwadi Gat No.47. southern boundary of village Kurungwadi Gat No. 53,55,57,58. southern boundary of Comptt. No. 314.

Eastern & southern boundary of village Jamunda Gat No. 44. Eastern boundary of Comptt. No. 316. Northern Eastern & southern boundary of village Jamunda Gat No. 33,34. southern boundary of village Jamunda Gat No. 35. **(WEST NASHIK DN)**

Boundary of Hivhali River, Nallh Compartment No.438-A (**SHAHAPUR DN.)**

East : Compt.No.55A, 56A, Mulkhel, Compt.No.97A, 99A, Dhamanvan, Compt.No.79E, 79F, Purushwadi Compt.96B, 96C, Khadki (Khurd), Compt.No.14A, 14B Shisvad, Compt.No.141E, 141F, 141G, 141H, Waghdari, Compt.No.141J, 141I, 141K, Shinde, Compt.No.141C, Pohane, 135B, 135C, Paithan Compt.No.142S, Mahadevwadi Compt.No.140A, Ambit Khind Compt.No.145B, 145C, Godewadi Compt.No.145E, 145F, 142D, Kelikotul Compt.No.145A.**(SANGAMNER SUB DN.)**

South : Yesdarwadi Compt.No.144A, 144B, 144C, 144D **(SANGAMNER SUB DN.**) Southern Boundry of Compt.No.716 **(THANE FOREST DIVISION)**

Compt.No.03, 04, 05, Malki Sur.No.86,87,89, Forest Survey No.122, Malki S.No.127,128 Compt.No.6, Malki Sur.No.102,103, Forest Survey No.104, Malki S.No.105,107, Compt.No.08, Malki Gut No.189,190,193,194,197,198,236,237 243, 246, 316,317, Compt.No.11, Malki Gut No. 248,249,286,296,299,303,305, 332,334,339,340, Compt.No.12 Malki Gut No.39,43,44,45,47,48,49, Malki Gut No.37, Forest Survey No.171 Malki Gut. No. 179, 181, 188, 209, 210, 222, 229 **(JUNNAR FOREST DN.)**

West : Western Boundary of Compt.No.711,714,716, Southern and Western Boundary of Compt. No 716,715,714,711, Northern boundary of Compartment No.711, Southern Boundary of Compartment No.710,709,702,701, Western Boundary of Compt.No702,701

ANNEXURE-II

List of Villages Marked in Map

Sl. No.	Division	Name of Villages
1	**2**	**3**
1	West Nashik	Khadked
2	West Nashik	Ambewadi
3	West Nashik	Kurungwadi
4	West Nashik	Jamunda
5	Sangamner Sub-Div	Bari
6	Sangamner Sub-Div	Wargunshi
7	Sangamner Sub-Div	Chichondi
8	Sangamner Sub-Div	Shendi
9	Sangamner Sub-Div	Bhandrdara
10	Sangamner Sub-Div	Mutkhel
11	Sangamner Sub-Div	Terungun
12	Sangamner Sub-Div	Dhamanvan
13	Sangamner Sub-Div	Balthan
14	Sangamner Sub-Div	Purushwadi
15	Sangamner Sub-Div	Siswad
16	Sangamner Sub-Div	Wagdari
17	Sangamner Sub-Div	Sinde
18	Sangamner Sub-Div	Kohane
19	Sangamner Sub-Div	Ghoti
20	Sangamner Sub-Div	Shilwandi
21	Sangamner Sub-Div	Ambhol
22	Sangamner Sub-Div	Ambit khind
23	Sangamner Sub-Div	Ghodewadi
24	Sangamner Sub-Div	Keli kotul
25	Sangamner Sub-Div	Eserthav
26	Junnar Division	Mandve
27	Junnar Division	Jambulshi
28	Junnar Division	Kopri
29	Junnar Division	Sangnore
30	Junnar Division	Kolhewadi
31	Junnar Division	Khireshwar
32	Junnar Division	Tithambi Tarf Vaishkhaire
33	Junnar Division	Walhivare
34	Junnar Division	Merdi
35	Junnar Division	Telegaon
36	Shanapur Division	Gunde
37	Shanapur Division	Dehene
38	Shanapur Division	Sakurli
39	Shanapur Division	Chondhi bk.
40	Shanapur Division	Chondhi kh.
41	Shanapur Division	Hinglud
42	Shanapur Division	Kalbhonde

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KALSUBAI HARISHCHANDRAGAD WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

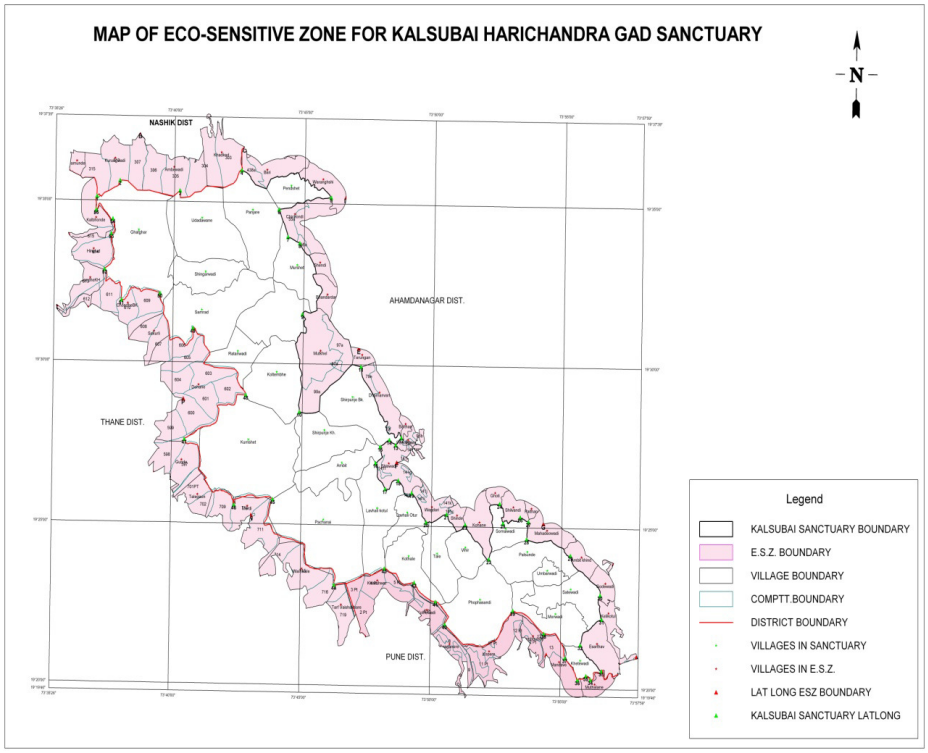

ANNEXURE-III A

GPS COORDINATES OF KALSUBAI HARISHCHANDRAGAD WILDLIFE SANCTUARY

List of Boundary Coordinates

Sr. no	Inner/Outer	Point Code	Latitude	Longitude
1	2	3	4	5
1	Inner	1	19:35:07.885	73:37:02.317
2	Inner	2	19:35:38.094	73:37:54.875
3	Inner	3	19:35:20.943	73:40:12.992
4	Inner	4	19:36:00.823	73:42:34.415
5	Inner	5	19:35:12.292	73:46:00.812
6	Inner	6	19:34:48.692	73:44:01.428
7	Inner	7	19:33:57.377	73:44:22.640
8	Inner	8	19:33:45.867	73:44:49.937
9	Inner	9	19:31:81.262	73:44:57.943
10	Inner	10	19:28:30.547	73:44:53.669
11	Inner	11	19:29:56.718	73:47:14.210
12	Inner	12	19:27:45.205	73:48:49.050
13	Inner	13	19:27:31.409	73:48:36.174

14	Inner	14	19:27:40.841	73:48:21.331
15	Inner	15	19:27:27.943	73:48:00.887
16	Inner	16	19:26:27.235	73:47:50.269
17	Inner	17	19:26:08.960	73:48:12.988
18	Inner	18	19:26:25.252	73:48:43.006
19	Inner	19	19:26:02.892	73:49:14.281
20	Inner	20	19:25:07.887	73:49:84.087
21	Inner	21	19:25:23.293	73:50:35.071
22	Inner	22	19:25:04.555	73:51:18.140
23	Inner	23	19:24:00.683	73:52:13.434
24	Inner	24	19:25:44.745	73:52:36.763
25	Inner	25	19:25:08.107	73:52:44.896
26	Inner	26	19:25:20.008	73:53:24.523
27	Inner	27	19:25:11.827	73:53:43.400
28	Inner	28	19:24:38.966	73:53:39.637
29	Inner	29	19:24:09.674	73:55:20.710
30	Inner	30	19:22:56.407	73:56:30.031
31	Inner	31	19:22:11.340	73:56:34.190
32	Inner	32	19:21:22.739	73:55:46.604
33	Inner	33	19:20:34529	73:56:34.905
34	Inner	34	19:20:18.018	73:56:10.094
35	Inner	35	91:20:25.196	73:55:59.618
36	Inner	36	91:20:17.224	73:55:40.209
37	Inner	37	19:20:58.107	73:55:10.792
38	Inner	38	19:21:43.152	73:54:21.777
39	Inner	39	19:22:24.978	73:53:09.757
40	Inner	40	19:21:57.663	73:50:33.580
41	Inner	41	19:22:39.570	73:50:11.900
42	Inner	42	19:22:14.722	73:49:22.241
43	Inner	43	19:23:40.289	73:48:13.538
44	Inner	44	19:23:08.026	73:46:18.190
45	Inner	45	19:25:46.413	73:43:54.730
46	Inner	46	19:25:34.835	73:42:26.005
47	Inner	47	19:27:36.038	73:40:30.120
48	Inner	48	19:29:00.630	73:42:50.169
49	Inner	49	19:31:04.045	73:40:46.655
50	Inner	50	19:32:08.732	73:39:29.982
51	Inner	51	19:31:54.940	73:38:01.513
52	Inner	52	19:32:51.754	73:37:22.199
53	Inner	53	19:33:58.234	73:37:86.317
54	Inner	54	19:34:26.328	73:37:39.307
55	Inner	55	19:34:42.862	73:37:01.014
1	Outer	A	19:35:54.317	73:35:58.406

2	Outer	B	19:37:07.673	73:38:40.183
3	Outer	C	19:36:44.133	73:42:40.194
4	Outer	D	19:35:12.907	73:46:35.110
5	Outer	E	19:30:31.027	73:47:08.761

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.